<u>**2018 का विधेयक सं.18**</u>

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 13 जून, 2018 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-ख का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3-ख की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दस प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3-ख के अधीन उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित लिखतों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार संदेय है। गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए निधि सृजित करने के लिए धारा 3-ख के अधीन संदेय प्रभार की दर को, उक्त अधिनियम की धारा 3-ख में संशोधन करके, दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 13 जून, 2018 को राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 3) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 14 जून, 2018 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2(24) विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2018 प्रेषक: वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने की सिफारिश करता हूं।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

3-ख. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिभार.- (1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य समस्त लिखतें ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी, जो ऐसी लिखतों पर इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए, अधिसूचित की जाये।

(2) से (4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 18 of 2018

THE RAJASTHAN STAMP(AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 13th June, 2018.

2. Amendment of section 3-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), for the existing expression "10 percent", the expression "20 percent" shall be substituted.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Stamp (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 3 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

____

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present under section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 surcharge at the rate of ten percent is payable on the stamp duty charged on the instruments mentioned in Schedule to the said Act. In order to generate the funds for conservation and propagation of cow and its progeny, the rate of surcharge payable under section 3-B is proposed to be increased from ten percent to twenty percent by amending section 3-B of the said Act.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Stamp (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 3 of 2018), on 13th June, 2018, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 14th June, 2018.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2(24) विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2018 प्रेषक: वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने की सिफारिश करता हूं।

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998
(Act No. 14 of 1999)

XX XX XX XX XX XX XX

3-B. Surcharge for conservation and propagation of cow and its progeny.- (1) All instruments chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny.

(2) to (4) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2018 का विधेयक सं. 18

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 18 of 2018

THE RAJASTHAN STAMP(AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(Vasundhara Raje, Minister-Incharge)